न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 05/2022

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री मनीष विश्नोई पुत्र श्री भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी खेडी ढाणी खेडी सालवा पुलिस थाना डंगियावास जिला जोधपुर।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 04.10.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 04.10.2021 को दौराने नाकाबंदी एक पिकअप वाहन संख्या आरजे 38 जीए 0758 को चैक किया तो उसमें में रखे कुल 6 ड्रमों में प्रत्येक 200–200 लीटर क्षमता के डीजल भरा हुआ पाया गया जिसमें कुल 1200 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। बिना परमिट एवं उचित कारण के डीजल कब्जे में रखना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध होने से डीजल को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी की ओर से किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया।

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम सिरोही की एक पक्षीय बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 04.10.2021 को दौराने नाकाबन्दी सिरोही से शिवगंज जाने वाले नेशनल हाईवे संख्या 62 पर एक बन्द बॉडी की पिकअप वाहन संख्या आरजे 38 जीए 0758 को रूकवाया, जिसमें आसमानी रंग के कुल 04 ड्रम, हरे रंग का 01 ड्रम व काले रंग का 01 ड्रम कुल 06 प्लॉस्टिक के ड्रम प्रत्येक 200–200 लीटर क्षमता के रखे हुए थे, जिनमें तरल पदार्थ भरा हुआ था। उक्त ड्रमों को चैक करने पर उक्त तरल पदार्थ डीजल होना प्रतीत हो रहा था एवं अप्रार्थी श्री मनीष विश्नोई पुत्र श्री भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी खेडी ढाणी खेडी सालवा पुलिस थाना डंगियावास जिला जोधपुर से उक्त तरल पदार्थ के बारे में पूछा तो उसने उक्त 06 ड्रमों में डीजल भरा होना बताया। उक्त ड्रमों में भरे डीजल का गणितीय हिसाब से माप करने पर प्रत्येक ड्रम में 200 लीटर डीजल भरा हुआ होना पाया गया। इस प्रकार कुल [illegible] लीटर डीजल अवैध भरा हुआ पाया गया एवं अप्रार्थी से उक्त डीजल से [illegible] व अनुज्ञा के बारे में पूछा तो अप्रार्थी ने अपने पास कोई भी [illegible] [illegible] अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:31:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

के डीजल का अवैध भण्डारण करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त डीजल को कब्जे सरकार लिया गया एवं न्यायालय द्वारा अंतरिम निस्तारण के आदेश नहीं हुए है। अतः डीजल ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे लम्बे समय तक थाने में पड़े रहने से लीकेज एवं आग लगने की सम्भावना है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

अप्रार्थी की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी को जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किए जा चुके थे अतः अप्रार्थी का जवाब देने का अवसर बन्द किया गया। अप्रार्थी बहस हेतु नियत तिथि पर उपस्थित नहीं हुआ, अतः प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनांक 04.10.2021 को दौराने नाकाबन्दी सिरोही से शिवगंज जाने वाले नेशनल हाईवे संख्या 62 पर एक बन्द बॉडी की पिकअप वाहन संख्या आरजे 38 जीए 0758 को रूकवाया, जिसमें आसमानी रंग के कुल 04 ड्रम, हरे रंग का 01 ड्रम व काले रंग का 01 ड्रम, कुल 06 प्लॉस्टिक के ड्रम प्रत्येक 200–200 लीटर क्षमता के रखे हुए थे, जिनमें तरल पदार्थ भरा हुआ था। उक्त ड्रमों को चैक करने पर उक्त तरल पदार्थ डीजल होना प्रतीत हो रहा था एवं अप्रार्थी श्री मनीष विश्नोई पुत्र श्री भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी खेडी ढाणी खेडी सालवा पुलिस थाना डंगियावास जिला जोधपुर से उक्त तरल पदार्थ के बारे में पूछा तो उसने उक्त 06 ड्रमों में डीजल भरा होना बताया। उक्त ड्रमों में भरे डीजल का गणितीय हिसाब से माप करने पर प्रत्येक ड्रम में 200 लीटर डीजल भरा हुआ होना पाया गया। इस प्रकार कुल 1200 लीटर डीजल अवैध भरा हुआ पाया गया एवं अप्रार्थी से उक्त डीजल से सम्बन्धित बिल व अनुज्ञा के बारे में पूछा तो अप्रार्थी ने अपने पास कुछ भी उपलब्ध नहीं होना बताया। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसंस के डीजल का अवैध भण्डारण करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त डीजल को कब्जे सरकार लिया गया। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी के द्वारा किसी भी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बिना लाइसेंस के अवैध रूप से डीजल का भण्डारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए. के तहत् प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये कुल 1200 लीटर डीजल को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए कुल 1200 लीटर डीजल का निस्तारण नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण कर/नीलाम कर प्राप्त राशि राजकीय राजकोष जमा कराने की कार्यवाही करें एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को सरे इजलास सुनाया गया

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:31:32 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

(सिरोही (राज.))

Scanned with CamScanner